

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक-

विषय :- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित Project Management Unit (PMU) के विस्तारित अवधि एक (01) वर्ष (दिनांक-12.05.2025 से 11.05.2026 तक) के लिए कुल अनुमानित व्यय (मार्जिन सहित) कुल रु. 1,76,24,633.00 (एक करोड़ छिहत्तर लाख चौबीस हजार छः सौ तैंतीस रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष राशि के रूप में कुल राशि रु० 11,24,633.00 (ग्यारह लाख चौबीस हजार छः सौ तैंतीस रुपये) मात्र बेल्ट्रॉन, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2705, दिनांक-28.05.2025 के द्वारा राज्य सरकार ने महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-5209, दिनांक-15.10.2024 के द्वारा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थापित Project Management Unit (PMU) के विस्तारित अवधि एक वर्ष (दिनांक-12.05.2025 से 11.05.2026) तक के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का मार्जिन सहित होने वाले कुल व्यय रु. 1,78,02,660.00 (एक करोड़ अठहत्तर लाख दो हजार छः सौ साठ रुपये) मात्र का उपलब्ध कराये गये अधियाचना के आधार पर दिनांक-14.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में कुल रु० 1,78,02,660.00 (एक करोड़ अठहत्तर लाख दो हजार छः सौ साठ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रु० 99,00,000.00 (निन्यानवे लाख रुपये) मात्र, बेल्ट्रॉन, पटना को विमुक्त की गई थी।

2. बेल्ट्रॉन, पटना के पत्रांक-2958, दिनांक-15.05.2025 द्वारा संसूचित किया गया है कि वित्त विभाग, बिहार द्वारा बेल्ट्रॉन मार्जिन में किये गये संशोधन के आलोक में एक वर्ष के PMU कार्य (12.05.2025 से 11.05.2026) के विस्तार हेतु संशोधित प्रस्तावित राशि कुल रु० 1,76,24,633.00 (एक करोड़ छिहत्तर लाख चौबीस हजार छः सौ तैंतीस रुपये) मात्र (मार्जिन सहित) व्यय होना है।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-2667, दिनांक-07.05.2026 के द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में कुल राशि रु० 66,00,000.00 (छियासठ लाख रुपये) मात्र, बेल्ट्रॉन, पटना को विमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार विस्तारित अवधि (दिनांक-12.05.2025 से 11.05.2026) के लिए कुल अनुमानित व्यय रु० 1,76,24,633.00 (एक करोड़ छिहत्तर लाख चौबीस हजार छः सौ तैंतीस रुपये) मात्र के विरुद्ध कुल रु० 11,24,633.00 (ग्यारह लाख चौबीस हजार छः सौ तैंतीस रुपये) मात्र बेल्ट्रॉन, पटना को विमुक्त किया जाना है।

4. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत गठित Project Management Unit (PMU) के विस्तारित अवधि एक (01) वर्ष (दिनांक-12.05.2025 से 11.05.2026 तक) के लिए कुल अनुमानित व्यय (मार्जिन सहित) कुल रु. 1,76,24,633.00 (एक करोड़ छिहत्तर लाख चौबीस हजार छः सौ तैंतीस रुपये) मात्र के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में शेष राशि के रूप में कुल राशि रु० 11,24,633.00 (ग्यारह लाख चौबीस हजार छः सौ तैंतीस रुपये) मात्र बेल्ट्रॉन, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०-43 के अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष -"2203-तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष -105-बहुशिल्प (पोलिटैकनिक) विद्यालय, उपशीर्ष -0107- राजकीय पोलिटैकनिक संस्थाओं में सेन्टर ऑफ ऐक्सेलेंस-सात निश्चय-2" के अधीन, "विषयशीर्ष 28 03- कन्सल्टेन्सी" में उपबंधित राशि से की जाएगी, जिसका विपत्र कोड 43-2203001050107 है।

6. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक (त०), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होंगे।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन (निर्माण भवन), बेली रोड, पटना से नियमानुसार की जायेगी तथा राशि CFMS के माध्यम से बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, पटना के नाम से संचालित निम्नवत् पी०एल० खाता के Ledger ID-15984 में अंतरित किया जायेगा :-

(a) Deposit Account Number- PBBPLA009

(b) Receipt HoA - 84480012000150001

(c) Payment HoA - 84480012000150002

8. निकासी की जाने वाली राशि का व्यय प्रभावी वित्तीय नियमों एवं अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

9. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्य एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि., दिनांक-03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-वि. प्रा. (I) मु० स्था० -08/2021 के पृ० 132/टि० पर प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश

ह०/-

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि. प्रा. (I) मु० स्था० -08/2021-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि. प्रा. (I) मु० स्था० -08/2021-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन (निर्माण भवन), बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि. प्रा. (I) मु० स्था० -08/2021-

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ट्रॉन), बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक— वि. प्रा. (I) मु० स्था० —08/2021— 5152

/पटना, दिनांक— 17.09.26

प्रतिलिपि:— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (M)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/विपत्र शाखा (दो प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव